"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 79] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 मार्च 2007—फाल्गुन 30, शक 1928

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मार्च, 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-15/दो/आठ-परि/2005.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 1969 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियमों में-

नियम 11 के उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम (6) अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध नियम, 1997 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 19-03-2007 से 19-03-2008 की कालावधि के दौरान परिवहन उपनिरीक्षक एवं परिवहन आरक्षक की सीधी भर्ती के मामले में महिलाओं के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत होगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2007

क्रमांक एफ 1-15/दो/आठ-परि/2005.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 मार्च, 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

Raipur, the 21st March 2007

NOTIFICATION

No. F 1-15/Two/8-Transport/2005.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the State Government hereby makes the following further amendment to Chhattisgarh Transport Department sub-ordinate (Class III Executive) Service Recruitment Rules, 1969, namely :-

AMENDMENT

In the said Rules-

After Sub-Rule (5) of Rule 11, the following sub-rule (6) shall be inserted, namely-

Notwithstanding anything contained in Chhattisgarh Civil Seva (Mahilaon ki Niyukti hetu Vishesh Upbandha), Niyam 1997, the reservation for women candidates in case of direct recruitment of Transport Sub-inspector and Transport Constable during the period of 19-03-2007 to 19-03-2008 Shall be 10 Percent.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ASHOK JUNEJA, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.